

27.6.16

Singh
14d.
27/6/2016

पन्नावली कोर्ट केम्प कांड पर
 पेशा, लाली वकील उपास्यता।
 कांड पर के तमाम इस प्रकार है कि
 वादिना एवं प्रतिवादी स. ०१ के ५६५
 बिलादशरत भाराजी ग्राम हासियास
 के शवाला स. १५३ व १५४ धुतिवा
 हो वार जिस में वादिना का ६५५ व
 वरासत के नामान्तरण शवाले समय
 नाम पिला की हिस्से का ५१ में ५२
 नाम अंकित गरी बिपा गया। अतः
 शवाला स. १५३ में वादिना का ३ हिस्सा
 व शवाला स. १५४ वादिना का ४ हिस्सा
 धुतिवादी स. ०१ के साथ सह शवालेदार
 हासियास कर राजरव शेरार्ड में अंजन
 करावै व प्रतिवादी लाली की हिस्से
 अनुसार वास्तुकारने पर शवालेदार
 उत्पन्न गरी कर हेतु वाकेंद करावै।

राजरव शेरार्ड व पन्नावली
 का अवलोकन बिपा गया वादिना
 का वाद शवालेदार बिपा जग वार
 आदेश बिपा जाता है कि ग्राम
 हासियास के शवाला स. १५३ के
 भाराजिपाल में ३ हिस्सा व शवाला
 स. १५४ में ४ हिस्सा अनुसार
 धुतिवादी स. ०१ के साथ शवालेदार
 वास्तुकार लाली का हासियास
 किया जाता है वादिना का हिस्से
 अनुसार राजरव शेरार्ड में अंजन
 करे। धुतिवादी स. ०१ का अंजन
 जिसे हासियास वाकेंद बिपा जाता
 है कि वादिना की हिस्से अनुसार वास्तु
 कारने में दरबल अंदाजी नहीं करे।

आज यह लिखी कोर्ट केम्प
 कांडा पर सारे आम भुनाया गया।
 पन्नावली केराला शमां हो कर
 नगर में पास है।

(उम्मेद सिंह राजावत)
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पब्लिक सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

- 1- श्रीमती नान्नी मुनी गोवाल ^{उपस्थित} ~~अपस्थित~~ हासियास
वादिवा
2- रूपा पिता गोवाल गुर्जर ^{अपस्थित} हासियास
वादिवा
3- लक्ष्मीबाई भीलवाडा
उप-पंजीयक, भीलवाडा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत ४४४९९ व १४४२२ सी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :- ३२११५
निर्णय दिनांक :- २७.६.१६

वादी की ओर से इ.एच.ए. की व प्रतिवादी की ओर से की उपस्थिति
में इस वाद में आज तारीख २७.६.१६ को वादा (नाम पीठासीन अधिकारी
उममेद सिंह राजावत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री
दी जाती है कि-

ग्राम हासियास के श्वाता स. १५३ के
अंशजियात में १ हिस्सा व श्वाता स. १५४ में
१ हिस्सा अनुसार प्रतिवादी स. १ के साथ श्वातेदार
कारतुकार वादिवा के हित विप्रा जाता है
वादिवा का हिस्से अनुसार श्वातेदार श्वातेदार
के प्रतिवादी स. १ के अनुसार लिखे धातु से
पाबंद विप्रा जाता है कि वादिवा के हिस्से
अनुसार कारत करने में दखल अंदाजी नहीं करे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख २७.६.१६ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।

(उममेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पब्लिक सहायक कलक्टर, भीलवाडा